न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
105/2020	दावा 88, 91 RTA	18.09.2020	17.08.2021

कुमार राजीव पुत्र स्व. हनुमानप्रसाद सोनी जाति सोनी आयु 69 वर्ष पता ग्राम झारिया तहसील व जिला चूरू हाल निवासी एम-4, कासा हवेली, महाराजा हरिसिंह नगर, रेजिडेन्सी रोड़, जोधपुर (राज.)

—वादी—

बनाम

तहसीलदार महोदय वास्ते राजस्थान राज्य, कलेक्ट्रेट परिसर, चूरू (राज.)

—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री अभिषेक टावरी व श्री प्रीतमसिंह वादी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झारिया तहसील व जिला चूरू में वादी के पिता हनुमानप्रसाद जी के नाम की पुश्तैनी कृषि भूमियां अवस्थित चली आ रही हैं जो खसरा संख्या 151 तादादी 21 बीघा, खसरा संख्या 501 तादादी 4 बीघा एवं खसरा संख्या 516 तादादी 66 बीघा 19 विश्वा कुल तादादी 91 बीघा 19 विश्वा रही है। यह कि उपर वर्णित कृषि भूमियां पूर्व में वादी के पिता हनुमाप्रसाद के नाम से दर्ज चली आ रही थी जिनका देहावसान दिनांक 17.04.1987 को हो चुका है। हनुमानप्रसाद जी का वंशवृक्ष नीचे वर्णितानुसार है:— स्व. हनुमानप्रसाद के वारिसान में चन्दादेवी पत्नी (फौत), चिरंजीलाल पुत्र (फौत), शंकरलाल पुत्र (मौजूद), नवरत्न पुत्र (मौजूद), कुमार राजीव (मौजूद) हैं। हनुमानप्रसाद के फौत पुत्र चिरंजीलाल के वारिसान में विमलादेवी पत्नी (फौत), देवकुमार पुत्र (फौत), जयप्रकाश पुत्र (मौजूद), मंजू पुत्री (मौजूद) हैं। स्व. चिरंजीलाल के फौत पुत्र देवकुमार के वारिसान में पूनम पुत्री मौजूद हैं। वादी के पिता व पूर्व खातेदार हनुमाप्रसाद जी का देहावसान होने पश्चात् ग्राम झारिया के पटवारी अथवा गिरदावर की सूचना के उपरान्त स्व. हनुमानप्रसाद जी के नाम से दर्ज चली आ रही उपर वर्णित तीनों खसरों की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में हनुमानप्रसाद जी के वारिसान का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने हेतु विरासतन इन्तकाल (नामान्तकरण) की कार्यवाही आरम्भ की गई। इस कार्यवाही में हनुमानप्रसाद जी के [illegible] व उनकी पत्नी का कुर्सीनामा प्रस्तुत किया गया जिसकी तस्दीक ग्राम [illegible] मीलाल द्वारा कर दी गई तथा इस अनुसार ही दिनांक 23.08.1987 को यह नामान्तरकरण संख्या 240 स्वीकृत किया जाकर स्व. हनुमानप्रसाद जी के विधिक वारिसान का नाम रिकार्ड [illegible] कर दिया गया। तत्समय स्व. हनुमानप्रसाद जी के विधिक [illegible]सान की तस्दीक जिस [illegible] व्यक्ति द्वारा की गई थी तथा जिस भी व्यक्ति द्वारा हनुमानप्रसाद जी का कुर्सीनामा (वंशवृक्ष) बनाया गया था, उस व्यक्ति द्वारा वादी का असल नाम कुमार राजीव अंकित न कर केवल चलत भाषा में बोले जाने वाला नाम राजीव अंकित कर दिया गया तथा इस अनुसार ही कृषि भूमियों के रिकार्ड में वादी का नाम कुमार राजीव की जगह केवल राजीव अंकित हो गया जो तत्पश्चात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:56:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

से आज तक इसी प्रकार गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी का असल व सही नाम कुमार राजीव है। उपरोक्त वर्णित समस्त कृषि भूमियों में गलत आधार व गलत रूप से वादी के भाई नवरतन द्वारा इन कृषि भूमियों बाबत गलत दस्तावेज व तथ्य बताते हुए इस कृषि भूमियों का गलत रूप से विभाजन करवा लिया जाकर अन्य समस्त कृषि भूमियां अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली गई तथा केवल मात्र खसरा संख्या 516 की कृषि भूमि का हिस्सा वादी व अन्य परिवारजन के नाम छोड़ा जिस अनुसार विभाजन के पश्चात् इस पुराने खसरा संख्या 516 के नये खसरा संख्या 941/516 तादादी 13.5443 हैक्टेयर की कृषि भूमि में ही वादी वादी व अन्य खातेदारों का नाम दर्ज चला आ रहा है जिस कारण केवल इसी कृषि भूमि में वादी के सही नाम कुमार राजीव की जगह गलत व अधूरा नाम राजीव दर्ज चला आ रहा है। यह कि वादी अपनी आजीविका व नौकरी तथा व्यापार के क्रम में पिछले काफी वर्षों से जोधपुर रिहायश करता चला आ रहा है तथा वादगत कृषि भूमियों की देखरेख वादी द्वारा अपने भतीजे जयप्रकाश को सौंप रखी थी इस कारण वादी द्वारा कभी वादगत कृषि भूमि के रिकार्ड की बारीकी से कोई जांच नहीं की थी।

यह कि वर्तमान में वादी द्वारा वादगत कृषि भूमि को विकसित करना चाहा तो माह अगस्त 2020 में अपने गांव आकर कृषि भूमि के दस्तावेजात् की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई तो प्रार्थी को अपने गलत दर्ज नाम की जानकारी हुई। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम के कारण व नाम में भिन्नता होने के कारण नाम का मिलान नहीं होने से वादी अपनी इस कृषि भूमि को सही रूप से उपयोग नहीं ले सकता है तथा इस भूमि पर बैंक लोन प्राप्त नहीं कर सकता है। ना ही विद्युत अथवा जल सम्बन्ध ही प्राप्त कर सकता है। वैसे भी वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के असल व सही नाम को दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है जिस हेतु यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। यह कि वादी का असल नाम कुमार राजीव ही है तथा वादी के पहचान के समस्त सरकारी दस्तावेजात् में भी वादी का नाम कुमार राजीव ही दर्ज चला आ रहा है। वादी का नाम कभी भी राजीव नहीं रहा है परन्तु केवल मात्र सम्बन्धित पटवारी/गिरदावर अथवा वादी के पिता हनुमानप्रसाद जी के कुर्सीनामे को तस्दीक करने वाले व्यक्तियों की गलती से राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम दर्ज चला आ रहा है। यह कि वादगत कृषि भूमि में वादी के गलत चले आ रहे नाम राजीव की जगह वादी के सही नाम कुमार राजीव की घोषणा करवाया जाना तथा इस अनुरूप ही राजस्व रिकार्ड में मौजूद वादी का नाम दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक होने से वादी को अपने हितों की रक्षार्थ यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

यह कि वादगत कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि होने से तथा वर्तमान में वादी इस कृषि भूमि का संयुक्त खातेदार होने से वादी को अपने नाम का दुरूस्तीकरण करवाने हेतु यह वादी प्रस्तुत करने का वादाधार प्राप्त है तथा वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम गलत दर्ज चला आने से वाद हैतुक उत्पन्न हुआ है। यह कि यह वादी घोषणा तथा रिकार्ड दुरूस्ती का होने से एवं वादगत कृषि भूमि ग्राम झारिया (चूरू) में अवस्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि सम्पूर्ण कृषि भूमियों के रिकार्ड के प्रभारी [illegible] व्यक्ति प्रतिवादी तहसीलदार महोदय होने से तथा माननीय न्यायालय के आदेश [illegible] तहसीलदार, चूरू द्वारा ही रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने से उनके [illegible] है। वाद में केवल मात्र वादी के नाम का संशोधन ही चाहा गया है [illegible] के खातेदारी अधिकारों का विवाद नहीं है ना ही किसी खातेदार की कृषि भूमि में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी ही की जा रही है ना ही खातेदारों के हक व अधिकार बाबत किसी प्रकार का विवाद है। यह वाद उचित न्याय शुल्क पर जानकारी से परिसीमा अवधि के भीतर सादर प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:56:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद निम्नानुसार आज्ञाप्त फरमाया जावे:—

(क) जरिये घोषणात्मक अनुतोष इस तथ्य की घोषणा की जावे कि नामान्तरण संख्या 240 में विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 941/516 पूर्व खसरा संख्या 516 व अन्य खसरा में पूर्व खातेदार हनुमानप्रसाद के विधिक वारिसान का जो कुर्सीनामा बनाया गया उसमें वादी के सही नाम कुमार राजीव की जगह गलत नाम राजीव अंकित कर दिया गया।

(ख) यह कि वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 941/516 तादादी 13.5443 हैक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के गलत दर्ज चले आ रहे नाम राजीव को दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम कुमार राजीव अंकित किया जाने हेतु प्रतिवादी को निर्देशित किया जावे।

(ग) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी को अथवा दौराने विचारण हो जावे वह भी वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

वादी की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज नायब तहसीलदार, चूरू उपस्थित हुए एवं जवाब ना देकर दावा बाबत "नो ऑब्जेक्शन" अंकित किया। प्रतिवादी की ओर से नो ऑब्जेक्शन करने पर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में गवाह कुमार राजीव ने मुख्य परीक्षा का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर गवाह के बयान लेखबद्ध किये गये। पैरोकार राज द्वारा गवाह से जिरह नहीं की गई। बयान बाद तस्दीक शामिल पावली किये गये। वादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। पैरोकार राज द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते, का कथन करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पैरोकार राज को हिदायत दी गई कि नाम दुरूस्ती के सम्बन्ध में पटवारी हल्का झारिया से रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत करें। पटवारी हल्का झारिया से फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की जाकर दावा पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता हनुमानप्रसाद के स्वर्गवास के बाद दर्ज विरासतन नामान्तरकरण संख्या 240 ग्राम झारिया में वादी का चलत भाषा में बोला जाने वाला नाम राजीव अंकित कर दिया गया जबकि वादी का असली व सही दस्तावेजी नाम कुमार राजीव है। वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम कुमार राजीव अंकित है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में अंकित नामों में भिन्नता होने से वादी को किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज नाम को दुरूस्त करवाने के लिए वादी ने यह दावा पेश किया है जिसके बाबत पैरोकार राज की ओर से कोई आपत्ति नहीं होने का अंकन किया गया है तथा पटवारी हल्का झारिया की मौका रिपोर्ट में भी राजीव व कुमार राजीव दोनों एक ही व्यक्ति के नाम [illegible] है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड [illegible] राजीव के स्थान पर कुमार राजीव संशोधित कर दुरूस्त करने का [illegible], चूरू को दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:56:25 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार राज ने बहस में कथन किया कि वादी का नाम दुरूस्त किया जाने से राज्य सरकार को कोई नुकसान होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए दावा के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली, पेश दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का झारिया का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष द्वारा की गई बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। वादी ने अपने दावा के माध्यम से ग्राम झारिया में अपनी पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 941/516 तादादी 13.5443 हैक्टेयर में नामान्तरकरण संख्या 240 के जरिये अपने गलत अंकित अपूर्ण व गलत नाम राजीव के स्थान पर कुमार राजीव को दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकित करने का निवेदन किया है। दावा में प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज ने नो ऑब्जेक्शन किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 ग्राम झारिया ख.नं. 941/516 तादादी 13.5443 हैक्टेयर में संयुक्त खातेदारी में अन्य खातेदारों के साथ वादी का नाम राजीव पुत्र हनुमानप्रसाद हिस्सा 1/4 जाति सुनार निवासी झारिया अंकित है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रदर्श–2 प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2041 ग्राम झारिया है जिसके अनुसार कृषि भूमि ख.नं. 151, 501, 516 के तत्कालीन सह खातेदार वादी के पिता हनुमानप्रसाद का नाम अंकित है तथा कॉलम नं. 15, 16 में हनुमानप्रसाद का स्वर्गवास होने के बाद उनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज नामान्तरकरण संख्या 240 का विवरण अंकित है जिसमें वादी का नाम अन्य वारिसान के साथ कुमार राजीव के स्थान पर राजीव अंकित है। प्रदर्श–3 नामान्तरकरण सं. 240 है जिसके अनुसार कृषि भूमि ख.नं. 151, 501, 516 के तत्कालीन सह खातेदार वादी के पिता हनुमानप्रसाद का स्वर्गवास होने के बाद उनके विधिक वारिसान के नाम खातेदारी में दर्ज हुए हैं जिसमें वादी का नाम अन्य वारिसान के साथ कुमार राजीव के स्थान पर राजीव अंकित है। प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 व 2065 से 2068 हैं जिनमें वादगत कृषि भूमि ख.नं. 941/516 तादादी 13.5443 हैक्टेयर में वादी का नाम राजीव अंकित है। प्रदर्श–6 नामान्तरकरण सं. 550 है जो कृषि भूमि ख.नं. 151, 501, 516 का खाता विभाजन होने पर दर्ज हुआ है जिसमें वादी व उसके परिवार के हिस्से में ख.नं. 516 मी. तादादी 53 बीघा 11 बिश्वा भूमि आई। प्रदर्श–7 नामान्तरकरण सं. 602 है जो वादी के भाई चिरंजीलाल का स्वर्गवास होने पर उसके विधिक वारिसान के नाम दर्ज हुआ है। वादी द्वारा दावा के साथ अपने नाम से बने सरकारी दस्तावेज पेश किये हैं जिनमें प्रदर्श–8 ए छाया प्रति आधार कार्ड सं. 561708518308 है प्रदर्श–9 ए ड्राईविंग लाईसेन्स सं. RJ19 19830059824 है, प्रदर्श–10 ए पेन कार्ड सं. ADAPK9774C है. उक्त समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम कुमार राजीव अंकित है। वादी अपनी खातेदारी की वादगत कृषि भूमि में अंकित अपने अपूर्ण व अशुद्ध नाम राजीव के स्थान पर पूर्ण व दस्तावेजी नाम कुमार राजीव दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाना चाहता है। वादी ने उपरोक्त दस्तावेजों को साक्ष्यवादी से प्रमाणित कराया है। वादी ने वादगत कृषि भूमि में भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू को प्रतिवादी पक्षकार बनाया है जिन्होंने दावा के विरोध में कोई [illegible] 'नो ऑब्जेक्शन' किया है तथा ना ही कोई साक्ष्य पेश किया है तथा बहस में [illegible] कि [illegible] का नाम दुरूस्त किया जाने से राज्य सरकार को कोई [illegible] नहीं है। इसलिए दावा के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। नाम दुरूस्ती के सम्बन्ध में पटवारी हल्का झारिया से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित आया है कि "ग्राम झारिया में उपस्थित मौजीज व्यक्तियों से राजीव पुत्र हनुमानप्रसाद जाति सोनी निवासी झारिया के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि राजीव व कुमार राजीव दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:56:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 941/516 तादादी 13.5443 हैक्टेयर रोही ग्राम झारिया में वादी का नाम राजीव पुत्र हनुमानप्रसाद 1/4 हिस्सा दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स व पेन कार्ड की प्रतियां पेश की हैं जिनमें वादी का सही नाम कुमार राजीव पुत्र हनुमानप्रसाद अंकित है। दावा में प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। पेश दावा व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादी वादगत कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा का संयुक्त खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजीव अपूर्ण व गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में सही व पूर्ण नाम कुमार राजीव दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी राजीव एवं कुमार राजीव दोनों नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नामों को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी का नाम दुरूस्त किये जाने से अन्य सह खातेदारों एवं राज्य सरकार के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों व शपथ पत्र से वादी का दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। इसलिए दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, तहसीलदार, चूरू की अनापत्ति एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का, झारिया के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम झारिया तहसील चूरू में अवस्थित वादगत कृषि भूमि ख.नं. 941/516 तादादी 13.5443 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में अंकित राजीव पुत्र हनुमानप्रसाद 1/4 हिस्सा जाति सुनार निवासी झारिया खातेदार के स्थान पर कुमार राजीव पुत्र हनुमानप्रसाद 1/4 हिस्सा जाति सुनार निवासी झारिया खातेदार दुरूस्त कर संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:56:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.

कुमार राजीव पुत्र स्व. हनुमानप्रसाद सोनी जाति सोनी आयु 69 वर्ष पता ग्राम झारिया तहसील व जिला चूरू हाल निवासी एम–4, कासा हवेली, महाराजा हरिसिंह नगर, रेजिडेन्सी रोड, जोधपुर (राज.)

–वादी–

बनाम

तहसीलदार महोदय वास्ते राजस्थान राज्य, कलेक्ट्रेट परिसर, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नं. 105 सन् 2020

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री अभिषेक टावरी व श्री प्रीतमसिंह एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, तहसीलदार, चूरू की अनापत्ति एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का, झारिया के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम झारिया तहसील चूरू में अवस्थित वादगत कृषि भूमि ख.नं. 941/516 तादादी 13.5443 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में अंकित राजीव पुत्र हनुमानप्रसाद 1/4 हिस्सा जाति सुनार निवासी झारिया खातेदार के स्थान पर कुमार राजीव पुत्र हनुमानप्रसाद 1/4 हिस्सा जाति सुनार निवासी झारिया खातेदार दुरूस्त कर संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक ... माह अगस्त सन् 2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:56:25 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
चूरू